Criminal Misc. Cases 42/2025

IN THE COURT OF
Addl. District Judge Court No. 2
AT, Unnao
(Presided Over by Dr. Satyawan Singh)
UPUN010006392025

Criminal Misc. Cases 42/2025

मंजू देवी...................................बनाम................................विनोद सिंह आदि।

<u>दिनांक- 23.04.2025</u>

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी मंजू देवी पत्नी हरी प्रसाद निवासिनी ग्राम शिवगंज मजरे साढ़ेमऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव की है। प्रार्थिनी सत्र 2015 से 2021 तक ग्राम पंचायत करनईपुर विकास खण्ड बीघापुर जनपद उन्नाव की ग्राम प्रधान रही है। प्रार्थिनी द्वारा अपने कार्यकाल में कराये गये निम्नलिखित कार्य- 1. पंचायत भवन प्रांगण मे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य 2. पचांयत भवन मे अपरन पुलिया व आर सी सी पिलर का निर्माण कार्य 3. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 4. पानी की टंकी की मोटर मरम्मत कार्य का भुगतान पंचायत चुनाव घोषित हो जाने के कारण नहीं हो पाया। प्रार्थिनी का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रार्थिनी की ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान विनोद सिंह पुत्र स्व० शिव बहादुर सिंह निवासी ग्राम साढ़ेमऊ थाना बीघापुर जिला उन्नाव व ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी जौरमपुरवा बेला परसुवाँ जनपद खीरी जो मौजूदा समय पर विकास खण्ड असोहा जिला उन्नाव में तैनात है से उपरोक्त कार्यों के भुगतान की बावत बात की तो उपरोक्त दोनो लोगो ने कहा कि यह चारो काम आपने ही करवाये है। यह बात पूरे गाँव को मालूम है। हम लोगो को चार्ज मिलते ही इसका भुगतान कराकर आपको दिला देगें। आपने जहाँ से सामग्री खरीदी है उन लोगो का भुगतान कर देना और जिन लोगो ने उक्त कार्यो में मजदूरी का कार्य किया है। उनका भी भुगतान करवा देगें। काफी समय व्यतीत हो जाने पर जब वर्तमान प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों का भुगतान नहीं किया गया तब प्रार्थिनी ने भुगतान की बावत पुनः उपरोक्त दोनो लोगो से बात किया तो यह लोग प्रार्थिनी को गोल मोल जवाब देने लगें। प्रार्थिनी को उक्त दोनो लोगो की बातचीत व व्यवहार से कुछ आशंका उत्पन्न हुई तब प्रार्थिनी ने विकास खण्ड के उच्च अधिकारियो से जानकारी की तो मालूम हुआ कि प्रार्थिनी द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान उपरोक्त वर्तमान प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने मिलकर साँठगाँठ कर फर्जी बिल बाउचर बनवाकर अन्य फर्म विद्या ट्रैडर्स शिवगंज चौराहा के नाम करवा लिया है जिसका प्रो० वर्तमान प्रधान विनोद सिंह स्वयं है तथा खरीदी गई ईट का भुगतान अवधूत ब्रिक फील्ड घाटमपुर खुर्द को किया गया। जबकि उक्त कार्यों में लगी ईट आलीशान ब्रिक फील्ड कमराजानापुर उन्नाव की है तथा उक्त कार्यो के करने में लगे मजदूरो की मजदूरी इन्द्रपाल उर्फ नोखे पुत्र बिन्दादीन निवासी ग्राम साढ़ेमऊ थाना बीघापुर के खाते में फर्जी तरीके से भेजी गयी है। इस प्रकार कराये गये फर्जी भुगतान की जानकारी होने पर प्रार्थिनी द्वारा उक्त फर्जी भुगतान

की शिकायत ब्लाक व जिला के अधिकारियो से की गई। तो जिला अधिकारी द्वारा अपने माध्यम से उक्त कार्यों की जाँच करावाने पर पाया कि प्रार्थिनी का कथन सत्य है। तब जिलाधिकारी महोदय ने उक्त ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त कार्यो का भुगतान प्रार्थिनी के माध्यम से सही फर्मों को किया जाये। तब वर्तमान प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रार्थिनी से कहा गया कि आप 5 जनवरी 2025 को अपने द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान प्रधान विनोद सिंह के घर आकर प्राप्त कर लीजियें। प्रार्थिनी दिनॉक 5 जनवरी 2025 को समय करीब 2 बजे दिन अपने पति हरी प्रसाद व गाँव की एक महिला विमला के साथ मौजूदा ग्राम प्रधान विनोद सिंह के घर गयी तो वहाँ पर पहले से मौजूद वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद सिंह व इन्द्रपाल उर्फ नोखे पुत्र बिन्दादीन निवासी ग्राम साढ़ेमऊ थाना बीघापुर जिला उन्नाव व रोहित सिंह उर्फ रामजी पुत्र विनोद सिह निवासी ग्राम साढ़ेमऊ थाना बीघापुर जिला उन्नाव प्रार्थिनी को जाबेजा गाली देने लगे और कहने लगे साली चमारिन बहुत नेतागिरी करती है आज तेरी नेतागिरी निकाल देगें। प्रार्थिनी द्वारा गाली देने से मना करने पर उपरोक्त तीनो लोग प्रार्थिनी पर हमलावर हो गये और प्रार्थिनी के कपड़े फाड़ कर लात घूसो से मारने लगे। प्रार्थिनी के पति के शोर मचाने पर गाँव के अन्य बहुत से लोग आ गये। तब उक्त तीनो लोगो ने जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि अगली बार भुगतान की बात करोगी तो जान से मरवा देगें। प्रार्थिनी उक्त घटना की शिकायत करने अपने पति के साथ थाना बीघापुर उसी दिन गई। परन्तु वर्तमान प्रधान के दबाव में थाना पुलिस बीघापुर ने न तो प्रार्थिनी की रिपोर्ट लिखी और न ही उपरोक्त लोगो के विरूद्ध कोई कार्यवाही की तब प्रार्थिनी ने दिनॉक 21/01/2025 को एक लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को रजिस्टर्ड डाक से भेजा परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्जकर अभियुक्तगणो के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने का आदेश करने की कृपा करे।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

संबंधित थाना बीघापुर से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3)

दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 05.01.2025 को समय लगभग 2 बजे प्रार्थिनी को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है तथा विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.06.2025 को पेश हो।

दि. 23.04.2025

(डॉ. सत्यवान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2